

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2431  
जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

**हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाना**

**2431. डॉ. विकास महात्मे:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान समय में उपयोग में लाए जा रहे हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक निजी वाहनों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है; और
- (ख) जनता के बीच हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने की दिशा में प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री  
(श्री अरविंद गणपत सावंत)**

**(क) और (ख):** इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन (एक्सईवी) के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया योजना) चरण-I को अधिसूचित किया, जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया था। इस योजना के माध्यम से एक्सईवी के खरीदारों को खरीद मूल्य में अप्रॉक 10% छूट के रूप में इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के आरंभ होने से अब तक ₹343 करोड़ (लगभग) के मांग प्रोत्साहन देकर लगभग 2.78 लाख वाहनों की सहायता की गई है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में, योजना के इस चरण के तहत अनेक शहरों/ राज्यों को 465 बसें भी मंजूर की गईं।

दिनांक 8 मार्च, 2019 को फेम इंडिया योजना के हाल ही में अनुमोदित चरण-II के तहत मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच अनेक उत्सुकताओं का समाधान करने के लिए चुनिन्दा शहरों में और मुख्य राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की सहायता की जाएगी।

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- (i) नई जीएसटी प्रणाली के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर पारंपरिक वाहनों हेतु 22% तक के उप-कर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में 12% के निचले स्तर (कोई उप-कर नहीं) में रखा गया है।
- (ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।
- (iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में परमिट में छूट से संबंधित अधिसूचना जारी की।
- (iv) वर्ष 2019-20 के बजट में, माननीय वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लिए गए ऋणों पर दिए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती उपलब्ध कराने की घोषणा की।